कार्यपालिका के प्रकार

किसी भी देश की मुख्य कार्यपालिका का स्वरूप वहाँ की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार तय किया जाता है। कार्यपालिका को सामान्यत: तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता रहा है-

I. संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका
II. नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका
III. एकल एवं बहुल कार्यपालिका

I. संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका:- संसदीय शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित रहती है, अत: इसे 'मंत्रिमंडलात्मक शासन' भी कहते हैं। कार्यपालिका के विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण इसे 'उत्तरदायी शासन' भी कहा जाता है।

संसदीय शासन के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप में भिन्नता के कुछ लक्षण दिखते हैं। व्यवहार में इस व्यवस्था में शासन का प्रधान 'नाममात्र का प्रधान' होता है जो कि राजा या राष्ट्रपति होता है। शासन का वास्तविक संचालन वास्तविक प्रधान मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।

• संसदीय शासन पद्धति की विशेषताएं

(A) दोहरी कार्यपालिका:- राज्य का प्रधान नाममात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् होती है। जैसे- इंग्लैंड का सम्राट व भारत का राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। सैद्धांतिक दृष्टि से ये शक्ति-सम्पन्न होते हैं, किंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है।
(B) कार्यपालिका, विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी:- संसदीय शासन पद्धति में विधानपालिका एवं कार्यपालिका एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होती है। निम्न सदन में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल का नेता प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करता है तथा अपने राजनीतिक दल में से ही मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। वास्तविक कार्यपालिका

अथवा मंत्रिपरिषद् अपने कार्यों के लिए अंतिम रूप से इसी लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है।
(C) अनिश्चित कार्यकाल:- संसदीय शासन पद्धति में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। यदि विधानपालिका द्वारा कार्यपालिका के प्रति अविश्वास प्रकट किया जाता है, तो कार्यपालिका को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है।
(D) व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:- मंत्रिपरिषद् के सदस्य अपने-अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं। विभागीय कार्यों का संचालन उन्हीं के नेतृत्व में सम्पन्न होता है। इस प्रकार विभागीय कार्यों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

(E) सामूहिक उत्तरदायित्व:- मंत्रिपरिषद् के सदस्य सामूहिक रूप से भी विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नीति सम्बन्धी प्रश्न पर विधानपालिका में किसी एक मंत्री की पराजय पूरे मंत्रिपरिषद् की पराजय मानी जाती है। मंत्रिपरिषद् के सदस्य 'एक साथ डूबते व तैरते हैं।'

(F) **प्रधानमंत्री का शासन**:- संसदीय शासन में प्रधानमंत्री को वास्तविक नेता माना जाता है। वह निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। इंग्लैंड में लोक सदन (House of Commons) तथा भारत में लोकसभा (House of People) में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है।

• अध्यक्षीय शासन पद्धति की विशेषताएं

(A) इकहरी कार्यपालिका:- अध्यक्षात्मक शासन में नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता है। समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में केंद्रित होती हैं तथा वही वास्तविक कार्यपालिका होता है। वह राज्याध्यक्ष भी होता है और शासनाध्यक्ष भी। जैसे- अमेरिकी राष्ट्रपति

(B) कार्यपालिका एवं विधानपालिका का पृथक्करण:- इसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में पृथक्करण होता है। यह मॉण्टेस्क्यू के 'शक्ति- पृथक्करण सिद्धांत' पर आधारित है। कार्यपालिका के सदस्य न तो विधानपालिका के सदस्य होते हैं और न ही उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानपालिका व कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है।

(C) कार्यकाल की निश्चितता:- अध्यक्षीय कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यपालिका प्रधान (राष्ट्रपति) का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। विधानपालिका के विश्वास या अविश्वास का उसके कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कार्यपालिका प्रधान को एक निश्चित प्रक्रिया 'महाभियोग' के द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है।

II. **नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका**:- नाममात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका से है जिसे संविधान द्वारा सर्वोच्च प्रशासनिक शक्ति प्रदान की गयी हो किंतु व्यवहार में उसका प्रयोग किसी अन्य के द्वारा किया जाता हो। प्रशासन के समस्त कार्य उसी के नाम से संचालित किए जाते हैं जबकि उन कार्यों के संपादन में वास्तविक शक्ति का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जैसे- भारत व ब्रिटेन की शासन व्यवस्थाएं। भारत में 'राष्ट्रपति' तथा ब्रिटेन में 'सम्राट' का पद नाममात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद् के हाथों में रहती है।

संसदीय शासन-व्यवस्था में नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व देखने को मिलता है। संवैधानिक दृष्टि से राज्य प्रमुख समस्त शक्तियों का स्रोत है जो कि नाममात्र की कार्यपालिका कहलाता है, क्योंकि उसे प्रदत्त समस्त शक्तियों का वास्तव में उपयोग प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद् द्वारा किया जाता है। वही वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

III. **एकल व बहुल कार्यपालिका**:- एकल कार्यपालिका से तात्पर्य उस कार्यपालिका संगठन से है जिसमें कार्यपालिका सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती है, जबकि इसके विपरीत बहुल कार्यपालिका में कार्यपालिका की शक्तियाँ विभिन्न व्यक्तियों में बँटी होती है। वस्तुत: ये दोनों संसदीय एवं अध्यक्षीय कार्यपालिका के ही रूप हैं।

एकल कार्यपालिका का आदर्श स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है जबकि बहुल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में देखा जा सकता है। वर्तमान में अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके विपरीत स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका सत्ता सात सदस्यों की एक संघीय सरकार में निवास करती है ओर यह संघीय सरकार सामूहिक रूप से राज्य की कार्यपालिका प्रधान के रूप में कार्य करती है। कतिपय विद्वानों के मतानुसार भारत व इंग्लैंड के संसदीय शासन भी एकल कार्यपालिका

के उदाहरण हैं।

✍️डॉ. कुमार राकेश रंजन
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान
एल.एन. डी. कॉलेज, मोतिहारी
पूर्वी चंपारण (बिहार)